

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: आर०टी०ई०एक्ट-प्रवेश (द्वितीय चरण) / 3562-66 / 2023-24 दिनांक- 29.04.2023

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

H A L VIDYALAYA HAL TOWNSHIP G T ROAD RAMA DEVI  
KANPUR NAGAR

विषय:- शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों का कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक: आर०टी०ई०/10703/2022-23 दिनांक-30 जनवरी 2023 के माध्यम से शासनादेश संख्या 582/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11 दिनांक-03 मार्च, 2016 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" एवं "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराये जाने के प्राविधान के रूपात्मक अनुलाइन आवेदन एवं लॉटरी/प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जिसके क्रम में जनपद कानपुर नगर के नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु वेबसाइट ([rte25.upscd.gov.in](http://rte25.upscd.gov.in)) पर दिनांक 17.04.2023 तक प्राप्त अनुलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापनोपरान्त दिनांक 19 अप्रैल 2023 को अनुलाइन लॉटरी के माध्यम से जनपद कानपुर नगर हेतु पंजीकृत बच्चों को उनके द्वारा वांछित विद्यालयों में से एक विद्यालय आवंटित किया गया। अनुलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश हेतु चयनित बच्चों की सूची का जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

विद्यालय को आवंटित निम्न विवरणानुसार छात्र/छात्रा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लेना सुनिश्चित करें, साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक से प्रवेश सम्बन्धित मूल अभिलेखों एवं अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति का मिलान कर उसकी एक प्रति अपने पास संरक्षित रखें तथा एक प्रति तत्काल प्रवेश दिये जाने की सूचना के साथ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

S.No.	Registra. ID	Student Name	Father Name	Class	Block
2299	257684	TANYA AGARWAL	ARVIND KUMAR AGARWAL	CLASS 1	SADARBAZAR
2300	201417 ✓	SANYA SHARMA	MUKESH KUMAR	CLASS 1	SADARBAZAR
2301	287256 ✓	SHRAVYA	ALOK KUMAR	CLASS 1	SADARBAZAR
2302	215059 ✓	APOORV GUPTA	SUSEEL KUMAR GUPTA	CLASS 1	SADARBAZAR
2303	227789	DIVANSHI	DEEPAK CHAURASIA	CLASS 1	SADARBAZAR


उपरोक्तानुसार आवंटित बच्चे का प्रवेश विद्यालय में न लिये जाने की दशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) तथा शासनादेश संख्या 3087(1)/79-5-2012-29/09 टी०सी०-II दिनांक 3 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या-538/79-6-2013 शिक्षाअनुभाग लखनऊ-6 दिनांक-20 जून 2013 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में उपरोक्तानुसार प्राविधानित विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी, जिसका समर्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(सुरजीत कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।

पृ०सं० व दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार छात्र-छात्रा का आवंटित विद्यालय में तत्काल प्रवेश कराते हुए विद्यालयवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
4. सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक को सूचनार्थ।

  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।